संख्या-12/2018/203/18-2-2018-97(ल0उ0)/2016

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।
3- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 27 अप्रैल, 2018

विषय- शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। उक्त के संबंध में निम्नलिखित शासनादेश निर्गत किये गये हैं-

क्र0स0	विषय	शासनादेश संख्या	दिनांक
1	शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किए जाने के संबंध में	11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016	23 अगस्त, 2017
2	शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में	12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016	25 अगस्त, 2017

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	जेम पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु स्टेट जेम पूल एकाउण्ट खोले जाने के संबंध में	21/2017/704/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016	30 नवम्बर, 2017
4	जेम (GeM) पर शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु जेम सेल का गठन	19/2017/836/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016	28 नवम्बर, 2017

उक्त समस्त संदर्भगत शासनादेश शासकीय वेबसाइट **shasandesh.up.nic.in** पर उपलब्ध हैं।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि उच्च स्तर पर यह संज्ञान में आया है कि प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों/प्राधिकरणों/संस्थानों व अन्य इकाईयों द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से आवश्यक सामग्री/सेवायें क्रय नहीं की जा रही है। यह भी संज्ञान में आया है कि इनमें कई विभाग ऐसे भी हैं जिनके द्वारा जेम से क्रय करना तो दूर, उनके द्वारा जेम पोर्टल पर अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया है। वर्तमान में प्रदेश में मात्र 979 प्रायमरी एवं 3567 सेकेण्डरी यूजर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया गया है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है।

3- अवगत कराना है कि प्रदेश में कुल 11056 नामित आहरण एवं वितरण अधिकारी हैं। इन आहरण वितरण अधिकारियों से संबंधित कम से कम एक कार्यालय अवश्य है। उक्त कार्यालयों द्वारा किये जा रहे क्रय का भुगतान कोई अन्य आहरण एवं वितरण अधिकारी नहीं कर सकता है, अर्थात प्रदेश में कम से कम 11056 कार्यालयों में क्रय हेतु जेम पोर्टल पर पंजीयन आवश्यक है। जेम प्रणाली के अन्तर्गत एक क्रय केन्द्र पर 03 व्यक्तियों की भूमिका होती है- बायर, कन्साइनी एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी/भुगतान प्राधिकर्ता। इनमें बायर एवं कन्साइनी एक ही व्यक्ति हो सकते हैं परन्तु आरहण एवं वितरण अधिकारी उससे भिन्न व्यक्ति होता है। अत: प्रत्येक क्रय केन्द्र के सापेक्ष कम से कम दो पंजीयन होने से ही समस्त कार्यालयों में जेम के आच्छादन को पूर्ण माना जा सकता है।

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों / कार्यालयों/निगमों/प्राधिकरणों/संस्थानों व अन्य इकाईयों के संबंधित प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी के सापेक्ष कम से कम दो यूजर (प्रायमरी या सेकेण्डरी) का जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करते हुये जेम पोर्टल से ही आवश्यक सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का कष्ट करें एवं अपने विभाग से संबंधित जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रायमरी यूजर/सेकेण्डरी यूजर की सूचना प्रारूप-1 पर संकलित करते हुये गत माह की 25 तारीख से चालू माह की 24 तक की सूचना प्रारूप-2 पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग को चालू माह की अंतिम तारीख तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु गठित जेम सेल के कार्मिकों का विवरण उनके ई-मेल/मोबाइल नम्बर तथा उन्हें आवंटित विभागों की सूची संलग्न है। जेम पोर्टल पर कार्य करने में आने वाली किसी भी कठिनाई के निराकरण हेतु आप अपने विभाग के समक्ष अंकित अधिकारी से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जेम पोर्टल पर क्रय के संबंध में शासन स्तर के नोडल अधिकारी, श्री रवीश गुप्ता, विशेष सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से उनके कार्यालय दूरभाष संख्या-0522-2239284 एवं मोबाइल नम्बर-9456922200 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या-12/2018/203(1)/18-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल,उत्तर प्रदेश ।
3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
7- अध्यक्ष, केन्द्रीय सर्तकता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
9- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
10- भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ।
11- प्रभारी, जेम सेल, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त विभागों के प्रायमरी यूजर/सेकेण्डरी यूजर की संकलित सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रवीश गुप्ता)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।